Date 10-02-2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना हल्दौर पुलिस/स्वाट टीम द्वारा, हत्या की वीभत्स घटना कारित करने वाले 09 अभियुक्तगण मय आलाकत्ल सहित गिरफ्तार।

दिनांक 05.02.2021 को कस्बा झालू मे रचित पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी सियोहरा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की पुरानी रंजिश के चलते 1– सारीक पुत्र सईद 2– शादाब पुत्र शफीक 3– शहबर पुत्र सरवर 4– शहजान पुत्र इरफान निवासीगण मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 5– आसीफ पुत्र हसनैन निकट जामा मस्जिद कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा ताबतोड गोलिया बरसाकर दिन दहाडे हत्या कर दी थी। सूचना पर पहुची पुलिस द्वारा सारिक, शादाब, शहबर, शहजान को घटना मे प्रयुक्त तमचों सहित गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध मे मृतक के पिता धर्मेन्द्र सिंह पुत्र छतर सिंह निवासी सियोहरा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की तहरीर पर थाना हल्दौर पर **मु0अ0सं0 34/21 धारा 147,148,149,302,506,504,120बी,114,153ए, भादवि व 7 सीएलए एक्ट व धारा 66 आईटी एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण का एक अन्य साथी आसीफ पुत्र हसनैन निवासी निकट जामा मस्जिद कस्बा झालू हल्दौर मौके से फरार हो गया था।

घटना 02 संम्प्रदायो से जुडी होने के कारण प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त आसीफ उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु मेरे द्वारा 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया तथा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय मुरादाबाद परिक्षेत्र द्वारा पुरस्कार राशि 25,000 से बढाकर 50,000 रूपये कर दी गयी।

उक्त घटना मे शामिल नाजिम पुत्र मोहसीन निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा झालू थाना हल्दौर द्वारा अपने वॉटसअप नं0 9720066592 के वॉटसअप स्टेटस पर घटना संबन्धी आपत्तिजनक वीडियो स्टेटस पर लगायी गयी। मेरे द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमे गठित कर अभियुक्त नाजिम उपरोक्त को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.02.2021 को अभियुक्त नाजिम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नाजिम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद था घटना के बाद मैने अपने साथियो का वर्चस्व बनाने के लिए अपने उपरोक्त मो0नं0 से वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी जिसमे मेरे चारो साथी थाने के अन्दर खडे है तथा रचित का मृत्यु के समय का खून से सना हुआ चेहरे का फोटो की वीडियो अपने वॉटसअप स्टेटस पर लगाया।

दिनांक 08.02.2021 को रचित हत्याकाण्ड का वांछित व 50,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी आसीफ पुत्र हसनैन उपरोक्त को उसके ताऊ सलीम के घर मौ0 सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर से गिरफ्तार किया गया उसकी निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस नगर पालिका के पास से बरामद किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण की गहनता से जॉच की जा रही है तथा अन्य साजिशकर्ताओ का भी पता लगाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पूछताछ का विवरणः–

अभियुक्तगण सारिक, शादाब, शहबर, शहजान, आसिफ द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि वह सभी रचित के साथ एक ही स्कूल मे पढते थे तथा रचित उनका सीनियर तथा दबंग प्रवृति का था और उसके जीतेजी हम लोगो का वर्चस्व कायम नही हो सकता था। कुछ समय

पहले रचित से उनकी अनबन हो गयी थी तथा हम लोग रचित से ईष्या रखने लगे थे और हम लोग अलग रहने लग गये थे। रचित का उसके साथी 1–रितिक पुत्र जागेश 2– जोनी पुत्र यसपाल निवासीगण रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर के साथ पूर्व मे झगडा हो गया था तथा बाद मे दोनो मे समझौता हो गया था लेकिन रितिक व जोनी के मन मे रचित से बदला लेने की भावना थी। कुछ दिन पहले सारिक का रचित के साथ झगडा हो गया था तथा रचित ने सारिक को मारने की धमकी दी थी। सारिक ने हम सभी को एक दिन बुलाकर बैठाया और मायूस होकर कहने लगा कि तुम लोगो के होते रचित मुझे मार देगा तुम लोगो के होने का क्या फायदा। रचित मुझसे रंजिश रखता है तथा उसने मारने की धमकी दे रखी है। हम लोगो को भी अपना वर्चस्व कायम रखना है। सारिक की ये बात सभी के दिल मे लग गयी और उसी दिन हम लोगो ने रचित का काम तमाम करने का फैसला कर लिया। हम सभी ने रितिक व जोनी के साथ पूर्व मे हुई लडाई का फायदा लेने के उददेश्य से रितिक व जोनी को अपने साथ मिला लिया मतीन पुत्र मुन्ना मुस्तफा निवासी लक्कडहारान कस्बा व थाना नहटौर व शमीर शेख पुत्र इनामुलनवी व वाजिद पुत्र साबिर उर्फ बुद्धु निवासीगण मौहल्ला सादात कस्बा झालू भी रचित से रंजिश रखते थे। हम लोगों ने उन्हे भी उन्हे भी इस काम में अपने साथ मिला लिया। रितिक व जॉनी के द्वारा जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने रचित को दिनांक 05.02.2021 को कस्बा झालू मे बुला लिया तभी समीर शेख ने हम सभी लोगो को सूचना दी कि रचित बाजार मे आ गया है तुम सभी तैयार हो जाओ और हम लोग भी मय तमन्चों के बाजार में पहुॅच गये। तभी रचित हम लोगों को देखकर पास मे मोबाईल की दुकान मे घुस गया फिर हम पॉचो ने अपने अपने तमंचे से कई गोलिया रचित को मारी और रचित मर गया। पुलिस द्वारा हत्या की योजना मे शामिल अभियुक्तगण 1–रितिक 2– जॉनी 3– मतिन, उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्तगण वाजिद व समीर शेख उपरोक्त गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

<u>निष्कर्षः– घटना पुरानी रंजिश, अपना बर्चस्व कायम करने तथा खुद को सुपरमैसिव साबित करने के लिये ईर्ष्यावश षड्यन्त्र करके अभियुक्तगण शहजान व आसिफ आदि के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया।</u>

<u>पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

1– सारीक पुत्र सईद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2– शादाब पुत्र शफीक निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3– शहबर पुत्र सरवर निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4– शहजान पुत्र इरफान निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर बिजनौर
5– आसिफ पुत्र हसनैन निवासी निकट जामा मस्जिद कस्बा झालू, थाना हल्दौर बिजनौर
6– नाजिम पुत्र मोहसीन निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर

<u>आज गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

7– रितिक पुत्र जागेश निवासी रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
8– जोनी पुत्र जसपाल निवासी रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
9– मतीन पुत्र मुन्ना मुस्तफा निवासी लक्कडहारान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

<u>फरार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

1– वाजिद पुत्र साबिर उर्फ बुद्धु निवासी मौहल्ला सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2–शमीर शेख पुत्र इनामुलनवी निवासी मौहल्ला सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर।

गिरफ्तार अभि0गण का आपराधिक इतिहासः–

शारिक पुत्र शहीद निवासी ग्राम मोहल्ला पीर जादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर

1–मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना हल्दौर

2–मु0अ0सं0 35/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हल्दौर

3–मु0अ0सं0 214/19 धारा 307/323/325 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

शादाब पुत्र शफीक निवासी ग्राम मोहल्ला पीर जादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर

1–मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना हल्दौर

2–मु0अ0सं0 36/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हल्दौर

शहबर पुत्र सरवर निवासी मोहल्ला पीर जादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

1–मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना हल्दौर

2–मु0अ0सं0 37/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हल्दौर

शहजान पुत्र इरफान निवासी मोहल्ला पीर जादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

1–मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना हल्दौर

2–मु0अ0सं0 38/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हल्दौर

3–मु0अ0सं0 367/19 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2) एससीएसटी एक्ट थाना हल्दौर

आसिफ पुत्र नईम उर्फ हसनैन आब्दी निवासी मोहल्ला जामा मस्जिद कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

1–मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना हल्दौर

2–मु0अ0सं0 39/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हल्दौर

नाजिम पुत्र मोहसीन निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

1–मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना हल्दौर

थाना कोतवाली शहर– आज दिनांक 10.02.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1–नन्हे पुत्र जयप्रकाश निवासी सदुपुरा थाना कोतवाली शहर बिजनौर 2–लक्की पुत्र मोहन शर्मा निवासी काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली शहर– आज दिनांक 10.02.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजा पुत्र नन्नू निवासी मोहल्ला का कस्सावान थाना कोतवाली शहर बिजनौर को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 70/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021

आज दिनांक 10-02-2021 को थाना धामपुर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा थाना क्षेत्र में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे ”मिशन शक्ति“ के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया, और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 कोविड –19, यातायात नियमों आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।

आज दिनांक **10-02**-2021 को थाना कोतवाली शहर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे "मिशन शक्ति" के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया, और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 कोविड –19, यातायात नियमों आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।